न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2179–दो/14 विरूद्ध अंतिरिम आदेश दिनांक 29.4.14 एवं 16–5–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया प्रकरण कमांक 145/बी–121/2013–2014.

मीना पत्नी रामसेवक कुशवाह
निवासी दोहर तहसील इन्दरगढ़
जिला दतिया म0प्र0 ---- आवेदिका

विरूद्ध

1– रामदास पुत्र श्री गुल्लीराम जाटव
निवासी पचोखर तहसील इन्दरगढ़
जिला दतिया म0प्र0
2– राजेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह बघेल
निवासी ग्वालियर रोड इन्दरगढ़
जिला दतिया म0प्र0 ---- अनावेदकगण

श्री के0 के0 द्विवेदी , अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव , अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/12/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार इन्दरगढ़ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29–4–2014 एवं 16.5.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा विक्रयपत्र के आधार पर मौजा दोहर में सर्वे नम्बर 710/3 रकबा 0.20 है0 में से रकबा 0.11 है0 भूमि रमेश तनय गिरवर मुख्त्यारआम राधेलाल एवं सुरेन्द्र सिंह तनय भोलाराम से दिनांक 10.1.14 को क्रय की गई थी, जिसके अनुसार नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके तारतम्य में आपत्तिकर्ता श्रीमती मीना कुशवाह पत्नी रामसेवक कुशवाह निवासी दोहर द्वारा दिनांक 13.2.14 को आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अपत्ति आवेदन में कहा गया है कि मीना कुशवाह की सास से फर्जी रजिस्ट्री राजनीतिक दबाव के कारण करा ली गई है। जिसका सिविल न्यायालय सेवढ़ा में सिविल वाद चल रहा है। उनके द्वारा तहसीलदार के यहां पक्षकार बनाने का निवेदन किया है तथा यह भी कहा गया है कि सिविल न्यायालय में प्रकरण चलते हुये नामांतरण की कार्यवाही नहीं की जावे ।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये । प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया ।

4– मेरे द्वारा प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अभी नायब तहसीलदार इन्दरगढ़ के यहां अनावेदिका श्रीमती मीना कुशवाह के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का कोई भी निराकरण नहीं हुआ है एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही से किसी भी पक्षकार के हित ना तो अभी तक प्रभावित हैं और ना ही इस स्टेज पर ऐसा कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार में किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित तौर पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने संभावित है । नायब तहसीलदार के समक्ष अभी प्रकरण विचाराधीन है उसमें कार्यवाही चल रही है, एवं पक्षकारों को अपना पक्ष उनके (नायब तहसीलदार के) समक्ष रखने का अवसर अभी उपलब्ध है । ऐसे में आवेदिका को वरिष्ठ न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष इस स्टेज पर आने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकरण में आवेदिका द्वारा बताया गया है कि रजिस्ट्री फर्जी है, इसकी अधिकारिता

राजस्व न्यायालयों को नहीं है एवं प्रकरण पूर्व से ही सिविल न्यायालय में चल रहा है साथ ही, आवेदिका मीना ने ही तहसीलदार के समक्ष अपना आवेदन प्र0क0 145/बी–121/13–14 में दिया है जिस पर वे अभी विचार एवं कार्यवाही कर रहे हैं ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि. अभी प्रकरण का नायब तहसीलदार के यहां निराकरण नहीं हुआ है । अतः प्रकरण में कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो ।

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर